रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112026-278166
CG-DL-E-25112026-278166

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6139] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 2026/अग्रहायण 4, 1948
No. 6139] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2026/AGRAHAYANA 4, 1948

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2026

का.आ. 6379(अ).— भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 16 की उप-धाराओं (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद से परामर्श करने के पश्चात्, भारत से बाहर स्थित पशुचिकित्सा संस्थान द्वारा प्रदान की गई पशुचिकित्सा अर्हता को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त पशुचिकित्सा अर्हता के रूप में एतद्वारा मान्यता प्रदान करती है और इस प्रयोजनार्थ, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में इन पशुचिकित्सा अर्हताओं को शामिल करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,—

(i) क्रम संख्या 13 के सामने, स्तंभ 3 में, "24-11-1987 को या उसके बाद" शब्दों और अक्षरों के पश्चात् "और 19 मार्च, 2020 को या उससे पहले" शब्दों और अक्षरों रखे जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

देश तथा संस्थान	मान्यताप्राप्त पशुचिकित्सा अर्हता	पंजीकरण के लिए संक्षिप्ताक्षर
14. सेंट पीटर्सबर्ग राज्य पशुचिकित्सा चिकित्सा विश्वविद्यालय, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस	डॉक्टर ऑफ वेटरिनरी मेडिसिन (डी.वी.एम.)	डी.वी.एम. (यह अर्हता केवल तभी भारतीय विश्वविद्यालयों की पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन स्नातक उपाधि के समकक्ष मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा अर्हता होगी, जब यह 20 मार्च, 2020 को या उसके पश्चात् प्रदान की गई हो।)

[फा. सं. के-11/80/2025-एलएच]

रामा शंकर सिन्हा, अपर सचिव

नोट: भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की दूसरी अनुसूची में अंतिम संशोधन दिनांक 23 नवंबर, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2972(अ) द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2026

S.O. 6379(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 16 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Central Government, after consulting the Veterinary Council of India, hereby recognizes veterinary qualification granted by veterinary institution outside India as recognised veterinary qualification for the purposes of the said Act and for that purpose makes the following amendments so as to include these veterinary qualifications in the Second Schedule to the aforesaid Act, namely: —

In the Second Schedule to the said Act, —

(i) against serial No. 13, in column 3, after the words and figures *"on or after 24-11-1987"*, the words and figures *"and on or before the 19th March, 2020."* shall be inserted;

(ii) after the serial No. 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Country and Institution	Recognised Veterinary Qualification	Abbreviation for registration
14. Saint Petersburg State University of Veterinary Medicine, Saint Petersburg, Russia	Doctor of Veterinary Medicine (DVM)	DVM (This qualification shall be a recognised Veterinary qualification equivalent to Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V.Sc. & A.H.) of Indian Universities when granted on or after the 20th March, 2020.)

[F. No. K-11/80/2025-LH]

RAMA SHANKAR SINHA, Addl. Secy.

Note: The Second Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 was last amended vide notification number S.O. 2972€, dated the 23rd November, 2009.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA